7.10.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना बाबत रिसीवर सुने जाने का निवेदन किया। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन किया। अप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के प्लीडर द्वारा NIP किये जाने के बाबत उन्हें न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के पूर्व सूचित किये जाने संबंधी बिन्दू पर सर्वप्रथम विचार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RLW 2018 (2) Rev. 1187 पेश किया व विरोध जाहिर किया कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा देरी का लाभ लेने की कुचेष्टा के साथ तकनीकि आधार का सहारा लेते हुए NIP पेश की है। इस संबंध में हमारे द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का अध्ययन किया गया। प्रकरण न्यायालय के स्थगन आदेशों की अवहेलना से संबंधित है एवं इस संबंध में जवाब/बहस की स्टेज पर अचानक से हिदायत पैरवी नहीं होने के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सूचित किये जाने का लाभ दिया जाना हमारी राय में आज्ञापक नहीं है। हमारी राय में इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत व तर्क प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा होते हैं। अतः के पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से आदिंनाक तक पैरवी हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा मुतनाजा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 05.12.2024 को अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2024 को अप्रार्थीगण के खिलाफ जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद भी अप्रार्थी नंबर 1 व 2 ने वादगत भूमि को दिनांक 06.12.2024 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 04 को बैय कर दिया तथा अप्रार्थी नंबर 3 ने अपना हिस्सा की भूमि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 04 को जरिये एग्रीमेंट बैय कर दिया उक्त दोनों हस्तांतरण डाक्ट्राईन ऑफ लीस पैण्डिस से हिट होने के कारण वॉयड (शून्य) है, ऐसे नल एण्ड वॉयड हस्तातंरण से अप्रार्थी नंबर 4 को वादगत भूमि में कानूनन कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 04 निखिल अग्रवाल ने वादगत भूमि को ग्राम नापासर के लिच्छूराम पुत्र मघाराम जाट को दौराने अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश

काश्त करने पर दे दिया। प्रार्थी/वादी ने उक्त लिच्छूराम जाट को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश बताकर मौके पर काश्त नहीं करने का कहा तो उसे टीआई आदेश मानने से मना कर दिया तथा टीआई आदेशों की अवहेलना करते हुए ट्रैक्टर से खसरा नंबर 191, 1945/178 एवं खसरा नंबर 178 पर काश्त कर ली। प्रार्थी/वादी द्वारा पुलिस थाना नापासर में वादगत भूमि पर लिछूराम द्वारा न्यायालय के टीआई आदेश की अवहेलना की घटना से अवगत कराया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 04 निखील अग्रवाल ने जानबूझकर टीआई आदेश की अवहेलना करते हुए लिच्छूराम जाट को गैरकानूनी तरीके से वादगत भूमि काश्त पर दी है। उसका यह कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है अतः यह आवश्यक हो गया कि मौके पर गैर–कानूनी रूप से की गयी काश्त पर तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार बीकानेर को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर नियुक्त पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि वादगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा होने बावजूद अप्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 06.12.2024 को रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 04 को बैय कर दिया तथा अप्रार्थी नंबर 3 ने अपना हिस्सा की भूमि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 04 को जरिये एग्रीमेंट बैय कर दिया अप्रार्थी संख्या 04 ने वादगत भूमि को ग्राम नापासर के लिच्छूराम पुत्र मघाराम जाट को दौराने टीआई काश्त करने पर दे दिया। अतः श्रीमान वादगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा होने बावजूद मौके व रिकॉर्ड में परिर्वतन किया जा रहा है इस बाबत वादगत भूमि पर तहसीलदार राजस्व बीकानेर को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस संबंध में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत– RRD-14.08.2012 page 527 प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादगत भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2024 को ग्राम नापासर के खसरा नंबर 191 तादादी 10.22 हैक्टयर, खसरा नंबर 1945/178 तादादी 3.37 एवं खसरा नंबर 178 की पूर्वी तरफ की भूमि 3.37 हैक्टयर भूमि पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार न्यायालय

द्वारा आदेश प्रदान किये जाने पश्चात अप्रार्थी 01 व 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में बैयनामा संपादित किया गया है तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि में दखलअंदाजी की जा रही है। उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से संबंधित वादपत्र धारा 88, 188 क आरटीए के तहत लंबित है व स्थगन आदेश जारी है। प्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि पर अपना कब्जा क्लेम किया है, अधिकारों की घोषणा चाही है जिस पर तमाम बिन्दु वादपत्र के अंतर्गत गुणावगुण रूप से तनकियात, साक्ष्य कायम किए जाकर पक्षकारों के स्वत्व व अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण होना है तथा जब दौराने वाद पक्षकारान द्वारा न्यायिक आदेशों का उल्लघंन करके भूमि का अन्तरण किया जाता है तो ऐसा अन्तरण अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानानुसार वादग्रस्त भूमि को दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने अथवा अन्य संक्रामत करने (wasting, damading or alienation of the suit land) की श्रेणी में आता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है तथा दौराने वाद/स्थगन वादगत भूमि के मौका व रिकॉर्ड में प्रतिवर्तन किये करना न्याय के उद्देश्यों को निष्फल करने के अनुक्रम मे सम्पति को हटाने अथवा निस्तारण करने के समकक्ष ही है। ऐसे में पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढ़ने व पक्षकारान के मध्य तनाव उत्पन्न होने व शांति भंग होने की आशंका प्रकट होती है। अतः इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोका जाना तथा वाद बाहुल्य बढने की स्थिति न हो इसलिए राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखने बाबत पाबंद किया जाना विधि सम्मत है।

यद्यपि रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम उपचार है और इसे अपवाद स्वरूप ही अपनाया जाना चाहिए।

- यदि रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक होने पर भी नकद प्रतिभूति का विकल्प काबिज काश्तकार को दिया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारा मत है कि प्रथम स्थिति का लाभ एक पक्षकार को तब ही मिल सकता है जब उसके द्वारा न्यायिक आदेशों का सम्मान किया जावे। अप्रार्थी पक्ष द्वारा ना तो दौराने स्थगन कथित बेचान से इंकान किया है, ना ही अपना

पक्ष प्रस्तुत किया गया है अपितु महत्वपूर्ण स्टेज पर NIP प्रस्तुत कर देरी की मंशा से तकनीकि लाभ प्राप्त करने की कुचेष्टा भी की है जो उनका क्लीन हैण्ड नहीं होना साबित करता है। अतः इसका लाभ अप्रार्थी पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। जहां तक रिसीवर के स्थान पर काबिज काश्तकार द्वारा नकद प्रतिभूति के विकल्प प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 की उपधारा (2) निम्न प्रकार है–

Rajasthan Tenancy Act, 1955:Section 212: (2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceeding is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be."

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के कब्जे की भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया गया है, वह नकद प्रतिभूति के बदले कब्जा वापिस लेना चाहता है तो नकद प्रतिभूति पर भूमि का कब्जा वापिस लेने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आवेदन अप्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नापासर के खसरा नंबर 191 तादादी 10.22 हैक्टयर, खसरा नंबर 1945/178 तादादी 3.37 एवं खसरा नंबर 178 की पूर्वी तरफ की भूमि 3.37 हैक्टयर भूमि पर तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार

बीकानेर उक्त भूमि को बहैसियत रिसीवर अपने कब्जे में लेकर रिसीवर के कर्त्तव्यों को अंजाम देवे तथा न्यायालय को की गयी कार्यवाही से अवगत करावे।

प्रकरण में काबिज पक्षकार चाहे तो नकद प्रतिभूति के विकल्प के संबंध में धारा 212 (2) आरटीए के प्रावधानों के मुताबिक न्यायालय में पृथक से चाराजोही/आवेदन कर सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.10.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर